संख्या-28/2026/49-3099/71/2024
(I/1365323/2026)

प्रेषक:

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2026

आई0सी0सी0एम0आर0टी की अवस्थापनाओं का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत् वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय- व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- I/619449/2026/ लेखा-अ/2026-27, दिनांक 02 जून, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में आई0सी0सी0एम0आर0टी0 की अवस्थापनाओं का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण '' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 276.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026- 27 में अनुदान संख्या- 18 के अधीन राजस्व मद में लेखाशीर्ष ''2425-सहकारिता, 800-अन्य व्यय, 08-आई0सी0सी0एम0आर0टी0 की अवस्थापनाओं का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर-वेतन)'' में प्राविधानित धनराशि रूपये 276.00 लाख के सापेक्ष **प्रथम किश्त के रूप में रूपये 92.00 लाख (रूपये बानवे लाख मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की निम्नलिखित नियमों/ शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण लागत सहित प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(4) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6)धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) आई0सी0सी0एम0आर0टी0 की अवस्थापनाओं का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों/शासनादेशों के अनुरूप कराये जाने का दायित्व निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ का होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 92,00,000.00 (रुपये बानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 018 लेखा शीर्षक 2425008000800 आई.सी.सी.एम.आर.टी. की अवस्थापनाओं का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(शिक्षा), सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
5) निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ।
6) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
7) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।